प्ररूप सं. 26क

[नियम 31ककख *देखें*]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन लेखाकार का प्रमाणपत्र देने के लिए प्ररूप

मैं ..... (धारा 204 के अर्थान्तर्गत) ..... के मामले में
(नाम) (संदायकर्ता का नाम)

[1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] सहित ..... और टैन .....
(संदायकर्ता का [1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]) (संदायकर्ता का टैन) (संदायकर्ता का पता)
में अवस्थित, संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हूँ।

मैं कथन करता हूँ कि मैं संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का कटौती के बिना ..... के खाते में ..... रुपए की रकम
(पाने वाले का नाम)
संदत्त करने को या जमा कराने को उत्तरदायी व्यक्ति हूँ।

किसी लेखाकार से यह प्रमाणित करने का प्रमाण पत्र कि पाने वाले व्यक्ति ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक में वर्णित सभी शर्तें पूर्ण कर ली हैं, इस प्ररूप के उपाबंध 'क' के रूप में संलग्न किया है।

मैं यह और कथन करता हूँ कि कर के अकटौती/कम कटौती के लिए रकम धारा 201 की उपधारा (1क) के अधीन ब्याज ..... रुपए

*मेरे द्वारा संदत्त कर दिया गया है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

	बीएसआर कोड/** प्राप्ति संख्यांक (बीआईएन के पहले सात अंक)	चालान क्रम संख्यांक/** डीडीओ क्रम संख्यांक (बीआईएन के अंतिम पांच अंक)	चालान के माध्यम से जमा की तारीख/** अंतरण बाउचर की तारीख

या

*मेरे द्वारा अभी तक संदत्त नहीं किया गया है।

स्थान : ..... हस्ताक्षर : .....

तारीख : ..... पदनाम : .....

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

#सरकारी कटौतीकर्ता की दशा में, "[1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] की अपेक्षा नहीं" अवश्य वर्णित करें।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

**चालान संदत्त किए बिना किए गए संदाय के लिए।

उपाबंध क

पाने वाले द्वारा आयकर विवरणी, कर के संदाय आदि के देने को प्रमाणित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन लेखाकार का प्रमाण-पत्र

मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ..... की अवधि के लिए ..... से सुसंगत खातों, दस्तावेजों और अभिलेखों का

([1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] के साथ पाने वाले का नाम और पता)

परीक्षण किया है और निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं :

(*i*) ..... (संदायकर्ता) ने अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसरण में कटौती किए बिना संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का ..... (पाने वाले) के खाते में निम्नलिखित रकम का संदाय या जमा कर दिया है।

संदाय की प्रकृति	संदाय या जमा की तारीख	धारा जिसके अधीन कर कटौती योग्य था	संदत्त या जमा रकम	कटौती योग्य रकम	कटौती की गई रकम के ब्यौरे, यदि कोई हों	
					कटौती की गई रकम	कटौती की तारीख

(*ii*) पाने वाले ने, [1क][***], उपर्युक्त (*i*) में निर्दिष्ट संदाय से सुसंगत निर्धारण वर्ष ..... के लिए आय कर की अपनी विवरणी दे दी है :

---

1. आय-कर (बाहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

1क. आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2021 द्वारा **8.6.2021** से ''जो निवासी है'' शब्दों का लोप किया गया।

विवरणी फाइल करने की तारीख	फाइल करने का ढंग जैसे ई-फाइल या पेपर विवरणी	विवरणी फाइल की अभिस्वीकृति संख्या	यदि पेपर विवरणी है निर्धारण अधिकारी का नाम और पता	फाइल की गई विवरणी के अनुसार कुल कर योग्य आय की रकम	विवरणी में घोषित आय पर शोध्य कर	संदत्त कर के ब्यौरे

(*iii*) पाने वाला उसके द्वारा फाइल किए गए आय की विवरणी में अपनी कर योग्य आय की गणना के लिए (*i*) में निर्दिष्ट राशि की रकम अपने हिसाब में लेगा, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

प्राप्ति जिन पर कर कटौती नहीं की गई है	आय का शीर्ष जिसके अधीन प्राप्ति का लेखा जोखा रखा गया है	आय का शीर्ष के अधीन सकल प्राप्ति जिसके अधीन प्राप्ति का लेखा जोखा रखा गया है	आय के शीर्ष के अधीन कर योग्य आय की रकम जिसके अधीन प्राप्ति का लेखा जोखा रखा गया है

(*iv*) यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि दी गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है और कोई सुसंगत जानकारी छिपाई या रोकी नहीं गई है।

(*v*) न तो मैं न ही मेरा कोई भागीदार, उपर्युक्त वर्णित अस्तित्व या इसके सहबद्ध समुत्थानों में निदेशक, भागीदार या कर्मचारी है।

मैं/हम यह पूर्णतः समझते हैं कि इस प्रमाण पत्र में किया गया कथन, यदि असत्य या मिथ्या सिद्ध होता है तो मैं/हम* विधि में या अन्यथा विहित किसी शास्ति या अन्य परिणामों के लिए दायी होंगे।

(हस्ताक्षरकर्ता की मोहर/मुहर)

† लेखाकार

स्थान : .....

तारीख : .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम : .....

पूरा पता : .....

सदस्यता संख्या : .....

टिप्पण :-

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
2. †यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है,-

   (*i*) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा; या

   (*ii*) कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधोंके आधार पर उक्त राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के किसी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।